डीवन क्रमांक बी टी १०८

नवभ

अर्थसार

दिल्ली बाजार : दिल्ली बाजार में खाद्य तेलों में गिरावट।

पटना शेयर बाजार भाव : अम्बुजा सीमेंट १९.५०, एस्सार गुजरात ८२.५०, इस्पात प्रोफाइल्स २८.००, मोदी सीमेंट २१.७५.

चालीसवां साल, पृष्ठ १० १ रुपया ७० पैसे, आश्विन १८ शक १९१२ कार्तिक कृष्ण

पशुपालन माफिया के चंगुल से नहीं निकल पाए हैं लालू प्रसाद

आलोक मेहता

पटना, ९ अक्टूबर। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद लालू प्रसाद यादव पशुपालन माफिया और भ्रष्ट अफसरों के चंगुल से नहीं निकल पाए हैं। अखबारों और टेलीविजन इंटरव्यू में भ्रष्टाचार के विरुद्ध दृढ़ संकल्प व्यक्त करने वाले लालू प्रसाद यादव १९८६ से जनवरी १९९० तक हर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पशुपालन विभाग की 'भ्रष्ट मंडली' की पैरवी करते रहे हैं। अब उनकी अपनी सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों की पुष्टि करते हुए प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों को अभयदान दिए हुए हैं जबकि आठ अन्य विभागों में भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्होंने सम्बन्धित अफसरों को निलम्बित कर दिया।

मुख्यमंत्री सचिवालय और पशुपालन विभाग में उपलब्ध रिकार्ड इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिन्देश्वरी दूबे, भागवत झा आजाद, सत्येन्द्र नारायण सिंह और डा. जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में लालू प्रसाद यादव पशुपालन माफिया से जुड़े सर्वाधिक विवादास्पद अधिकारी रामराज राम को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने अथवा बनाए रखने की पैरवी करते रहे। लालू प्रसाद यादव ने विरोधी दल के नेता के रूप में ३ दिसम्बर १९८६, २३ सितम्बर १९८८, २२ जून १९८९, १९ जुलाई १९८९, ३ नवम्बर १९८९ और ६ जनवरी १९९० को तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पशुपालन मंत्री को पत्र

के दौरान सतर्कता विभाग में भी कुछ नए अधिकारी आ गए। आते ही यह फाइल उनके हाथ लगी और भ्रष्टाचार के मामलों का खजाना देखकर उत्साही अधिकारी ने ९ अगस्त १९९० को ११ पृष्ठों वाली एक प्राथमिकी दर्ज करा दी। इनमें पशुपालन निदेशक रामराज राम तथा कुछ अन्य अफसरों के नाम शामिल थे।

सरकारी कार्मिक विभाग के नियमानुसार अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विभागीय प्रमाणों को नष्ट होने से बचाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को वहां से हटाने (निलम्बित या बर्खास्तगी) का प्रावधान है। कई बार सरकार उन्हें लम्बी छुट्टी पर भी भेज देती है। लेकिन मुख्यमंत्री के अभयदान के कारण पशुपालन माफिया के अफसरों का आज तक बाल बांका नहीं हुआ। जबकि जिस खरीद घोटाले के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके अन्तर्गत खरीदी के ६७ मामलों में से तीन की खरीदी का रिकार्ड ही जब्त हो पाया था। अभी खरीदी के ६४ अन्य मामलों के पूरे तथ्य सतर्कता विभाग को जुटाने थे। स्वाभाविक है कि भ्रष्ट अफसर रिकार्ड ठीक करने के काम में जुट गए।

सबसे मजेदार बात यह है कि पशुपालन विभाग को सामान बेचने वाली कम्पनी के प्रबंधकों को सरकार ने गिरफ्तार करा दिया, लेकिन गरीब आदिवासियों और किसानों के नाम पर प्रति वर्ष १५ करोड़ रुपयों की हेराफेरी करने वाले अफसरों